

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०२२

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ४१ का संशोधन.
४. धारा ६४ का प्रतिस्थापन.
५. धारा ७१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०२२

— मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

(२) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ का उपबंध १ अप्रैल २०२२ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा तथा इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २०२२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम निर्दिष्ट है) की धारा २ के खण्ड (म) के परन्तुक में, अक्षर तथा अंक, “एफ.एल. ४-ए”, के स्थान पर अक्षर तथा अंक, “एफ. एल. २-ए ए”, स्थापित किए जाएं।

३. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, शब्द कोष्ठक तथा अंक “धारा ६४ की उपधारा (२) के अधीन की शक्तियों तथा कर्तव्यों को छोड़कर,” का लोप किया जाए।

४. मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ६४ का
प्रतिस्थापन।

“६४. जहाँ कोई व्यक्ति—

शास्तियां

(क) धारा १२ या धारा ३५ की उपधारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण करता है; या

(ख) धारा १४ की उपधारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में आगत कर पर रिबेट का दावा करता है;

या

(ग) (एक) धारा १७ की उपधारा (१) या उपधारा (२) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं करता है; या

(दो) धारा १७ की उपधारा (८) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कोई जानकारी देने में उपेक्षा करता है; या

(घ) धारा १८ की उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पर्याप्त कारण के बिना कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है या मिथ्या प्रस्तुत करता है या मिथ्या विवरण देता है; या

(ड) युक्तियुक्तकारण के बिना शोध्य कर का भुगतान अनुज्ञात समय के भीतर नहीं है; या

(च) धारा ३९ के अधीन उससे कोई किन्हीं अपेक्षाओं के अनुसार, विक्रयों या क्रयों के लेखा या अभिलेख नहीं रखता है; या

(छ) धारा ४० के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार बिल, बीजक या केशमेमों देने अथवा बिल, बीजक या केशमेमों के प्रतिपर्ण रखने या परिरक्षित करने में चूक करता है या उपेक्षा करता है; या

(ज) जानते हुए गलत लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों को पेश करता है या जानते हुए गलत जानकारी प्रस्तुत करता है; या

- (झ) धारा ४४ या धारा ५५ के अधीन उससे की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसका अनुपालन नहीं करता है; या
- (ज) (एक) धारा ५७ के अधीन घोषणा फाइल नहीं करता है; या
- (दो) धारा ५७ के अधीन किसी यान की तलाशी रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाता है; या
- (तीन) धारा ५९ या ६० के अधीन किसी यान की तलाशी रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाता है; या
- (चार) धारा ६१ के अधीन घोषणा फाइल करने में असफल रहता है ; या
- (पांच) धारा ६२ के अधीन जानकारी नहीं देता है या लेखाओं, रजिस्टरों और दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करता है; या
- (छह) धारा ६३ द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जानकारी नहीं देता है या विवरण प्रस्तुत नहीं करता है; या
- (ट) इस अधिनियम के अधीन विहित सत्यापन या घोषणा में ऐसा मिथ्या विवरण देता है जिसके कि मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके कि सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है,

तो वह ऐसे व्यतिक्रम, जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, के लिए शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा, जो प्रत्येक मामले में, पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, जो आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के अधीन शास्ति का भुगतान किए जाने के दायित्व के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति व्यापारी या व्यक्ति से अभिप्रेत होगा,—

- (क) किसी भागीदारी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में भागीदार;
- (ख) किसी सहकारी सोसायटी के संबंध में प्रबंधक निकाय का अध्यक्ष तथा सचिव;
- (ग) स्वत्वधारिता वाली किसी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में स्वत्वधारी;
- (घ) किसी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के संबंध में कर्ता या प्रबंधक; और
- (ङ) कंपनी अधिनियम, २०१३ (क्रमांक १८ सन् २०१३) के अधीन निगमित किसी कंपनी के संबंध में सचिव, प्रबंधक तथा निदेशक।”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आबकारी नियमों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के विद्यमान उपबंधों को गैर-अपराधीकरण करने हेतु तत्स्थानी परिवर्तन करने के उद्देश्य से यथोचित संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं।

२. अतः यह विधेयक मूल्युत है।

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में इसका विषय द्वारा बहुमत प्राप्त करने के बाद इसका विधेयक द्वारा अनुशंसित किया जायगा।
तारीख १२ सितम्बर, २०२२। यह विधेयक विधानसभा में द्वारा अनुशंसित किया जायगा।

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।

उपाबंध

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) से उद्धरण.

*

*

*

*

धारा २ (म) अनुसूची-२ के भाग तीन में विनिर्दिष्ट माल और धारा ९-के अधीन अधिसूचित माल, जिस पर धारा ९ के अधीन कर देय है, के संबंध में करदत्त माल से अभिप्रेत है कोई ऐसा माल जो किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ७४) की धारा ४ के अर्थ के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के भीतर क्रय किया है:

परन्तु अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट मदिरा, जिस पर धारा ९ के अधीन कर देय है और जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्र. २ सन् १९१५) के अधीन एफ. एल. २/एफ.एल.३/एफ.एल.३-ए/एफ.एल. ४/एफ.एल. ४-ए) लायसेंस के धारक व्यापारी से भिन्न किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ७४) की धारा ४ के अर्थ के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के भीतर क्रय किया है, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए करदत्त माल होगा।

धारा ४१ इस अधिनियम के उपबंधों के और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के, जो कि विहित की जाएं, अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, धारा ६४ की उपधारा (२) के अधीन की शक्तियों तथा कर्तव्यों को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन अपनी कोई भी शक्तियाँ तथा कर्तव्य अपनी सहायता के लिए धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा:

परन्तु धारा ३८ तथा ४७ के अधीन की शक्तियाँ, उपायुक्त, वाणिज्यिकर से निम्न पद श्रेणी के अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

*

*

*

*

*

धारा ६४ (१) कोई भी जो,—

- (क) धारा १२ या धारा ३५ की उपधारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण करेगा; या
- (ख) धारा १४ की उपधारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में आगत कर पर रिबेट का दावा करेगा; या
- (ग) (एक) धारा १७ की उपधारा (१) या उपधारा (२) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराएगा; या
- (दो) धारा १७ की उपधारा (८) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कोई जानकारी देने में उपेक्षा करेगा; या
- (घ) धारा १८ की उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पर्याप्त कारण के बिना कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं करेगा है या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करेगा है या मिथ्या विवरणी देगा है; या
- (ङ) युक्तियुक्तकरण के बिना शोध्य कर भुगतान अनुज्ञात समय के भीतर नहीं करेगा; या
- (च) धारा ३९ के अधीन उससे की गई किन्हीं अपेक्षाओं के अनुसार विक्रयों या क्रयों के लेखा या अभिलेख नहीं रखेगा; या
- (छ) धारा ४० के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार बिल, बीजक या केशमेमों देने अथवा बिल, बीजक या केशमेमों के प्रतिपर्ण रखने या परिरक्षित करने में चूक करेगा है या उपेक्षा करेगा है; या
- (ज) जानते हुए गलत लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों को पेश करेगा या जानते हुए गलत जानकारी देगा; या

- (ज्ञ) धारा ४४ या धारा ५५ के अधीन उससे की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करेगा या उसका अनुपालन नहीं करेगा है; या
- (ज) (एक) धारा ५७ के अधीन घोषणा फाइल नहीं करेगा है; या
- (दो) धारा ५७ के अधीन किसी यान की तलाशी रोकेगा है या उसमें बाधा डालेगा है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचता है; या
- (तीन) धारा ५९ या ६० के अधीन किसी यान की तलाशी रोकेगा है या उसमें बाधा डालेगा है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाएगा है; या
- (चार) धारा ६१ के अधीन घोषणा फाइल करने में असपल रहता है ;
- (पांच) धारा ६२ के अधीन जानकारी नहीं देगा या लेखाओं, रजिस्टरों और दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा; या
- (छह) धारा ६३ द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जानकारी नहीं देता है या विवरण प्रस्तुत नहीं करेगा ; या
- (ट) इस अधिनियम के अधीन विहित सत्यापन या घोषणा में ऐसा मिथ्या विवरण देगा जिसके कि मिथ्या होने का या तो उसे जान है या विश्वास है या जिसके कि सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है,
- तो वह व्यतिक्रम की दशा में और धारा ६७ के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए,—
- (एक) (क) खण्ड (ख) या (ड) के अधीन अपराध के संबंध में ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार तक का हो सकेगा या जो व्यापारी द्वारा असंदर्त कर की रकम के बराबर हो, इनमें से जो भी अधिक हो; और
- (ख) खण्ड (घ), (ज) या (ट) के अधीन अपराध के संबंध में ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, तथा ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा; और
- (दो) खण्ड (एक) के अन्तर्गत न आने वाले अपराधों के संबंध में ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से;
- और जहां ऐसा अपराध, जिसकी बाबत जुर्माना अधिरोपित किया गया है, चालू रहने वाला अपराध है तो अपराध चालू रहने के प्रत्येक दिन के लिए, ऐसे और जुर्माने से जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.
- स्पष्टीकरण।**—इस उपधारा के अधीन दण्डित किए जाने के दायित्व के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति व्यापारी या व्यक्ति में अभिग्रेत होगा,—
- (क) किसी भागीदारी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में भागीदार;
- (ख) किसी सहकारी सोसायटी के संबंध में प्रबंधक निकाय का अध्यक्ष तथा सचिव;
- (ग) स्वत्वधारिता वाली किसी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में स्वत्वधारी;
- (घ) किसी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के संबंध में कर्ता या प्रबंधक; और
- (ङ) कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन निगमित किसी कंपनी के संबंध में सचिव, प्रबंधक तथा निदेशक.

- (२) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान, आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा और प्रथमवर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कोई भी अंवर न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा।
- (३) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय होंगे।
- (४) ऐसी शर्तों के अध्ययधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, आयुक्त, उसकी सहायता करने के लिए धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गये किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराधों को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- (५) उपधारा (४) के अधीन प्राधिकृत किया गया प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्वेषण के संचालन में उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो कि दण्ड प्रक्रिया, १९७३ (१९७४ का सं. २) द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के अन्वेषण के लिए प्रदत्त की गई है।

* * * * *

धारा ७१ (२) (भ) के शर्तों, जिनके अध्यधीन रहते हुए, आयुक्त उसकी सहायता के लिए धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों का धारा ६४ की उपधारा (४) के अधीन अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.